**आदेश 1 नियम 10 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र**

**(Application under order : Rule 10 CPC)**

न्यायालय……….

वाद नंबर ............. सन् ............

अ०ब०स० ............ वादी

**बनाम**

स० द०फ० ............ प्रतिवादी

प्राथीं/वादी निम्न प्रकार सविनय निवेदन करता है :

1. यह कि सदभावनापूर्ण भूल से प्रार्थी के स्थान पर वादी ने प्रतिवादी के विरूद्ध उसे विवादित सम्पत्ति से बेदखल करने हेतु योजित किया है—विवाद के वास्तविक निश्चयन हेतु वादी के स्थान पर प्रार्थी का प्रतिस्थापन आवश्यक है।

**अथवा**

यह कि वादी ने प्रतिवादी के विरूद्ध उसे विवादित सम्पत्ति से बेदखल करने हेतु/योजित किया है । विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि प्रतिवादी ने पंजीकृत दस्तावेज के अधीन अपने पट्टा के अधिकारो को एक श्री ........ पुत्र श्री ....... निवासी ...... को अन्तरित कर दिया है और अब उक्त श्री ........ वाद के सही निश्चयन हेतु एक व्यथित व्यक्ति एवं आवश्यक पक्ष है।

1. यह कि वाद में लिप्त विवादित प्रश्नों के निश्चयन हेतु एवं वाद को प्रभावी रूप से व पूणारूप से निर्णय हेत् प्रार्थी/श्री ............ की वादी/प्रतिवादी के रूप में न्यायालय में उपस्थिति आवश्यक है और उसे पक्षकार बताया जाना आवश्यक है।

**प्रार्थना**

अत: प्रार्थना है कि प्रार्थी को वादी के स्थान पर प्रति स्थापित करने तथा तदानुसार वाद पत्र में संशोधन करने के आदेश देने की कृपा करे।

**अथवा**

अत: प्रार्थना है कि श्री............. को प्रतिवादी सं० २ के रूप में पक्षकार बनाने तथा तदानुसार वाद पत्र में संशोधन करने के आदेश देने की कृपा करें।

**स्थान ............ दिनांक ……** **प्रार्थी…….**

**द्वारा अधिवक्ता ……**

**नोट** - प्रार्थना पत्र के साथ शपथपत्र संलग्न करें।